

इकतीसवीं वार्षिक प्रतिवेदन

2019 – 2020



इंडियन वैक्सीन्ज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : गांव मानेसर, मानेसर तालुक, गुरुग्राम, हरियाणा

सीआईएन: यू74900एचआर1989जीओआई030516

निदेशक मंडल

श्री श्रीवल्लभ गोयल	निदेशक	(30.07.2009 से प्रभावी)
श्री सुधीर कुमार जैन	निदेशक	(31.12.2014 से प्रभावी)
श्री सी. पी. गोयल	निदेशक	(30.03.2016 से प्रभावी)
डॉ. मोहम्मद असलम	निदेशक	(30.03.2016 से प्रभावी)

निदेशक मंडलीय परीक्षक समिति

श्री सी. पी. गोयल	अध्यक्ष
डॉ. मोहम्मद असलम	सदस्य
श्री श्रीवल्लभ गोयल	सदस्य
श्री सुधीर कुमार जैन	सदस्य

बैंक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

लेखा परीक्षक

मे. मेहरा एंड सिस्तानी
अपार्टमेंट 101, आई-22
जंगपुरा एक्सटेंशन
नई दिल्ली-110014

पंजीकृत कार्यालय

गांव मानेसर,

दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-8)

डाकखाना मानेसर,

जिला – गुड़गांव, (हरियाणा)

पिनकोड – 122050

प्रधान कार्यालय

ब्लॉक नं. 3, कमरा नं. 526,

5वां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

टेली : 24361208

वार्षिक आम बैठक की सूचना

यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यकलापों को सम्पन्न करने हेतु कम्पनी की इकत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार दिनांक 29 दिसंबर, 2020 को सुबह 11.00 बजे गांव नैनवाल, डाक खाना मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में होगी :

सामान्य कार्यकलाप

1. 31 मार्च 2020 के अंकेक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए हानि-लाभ विवरण व उन पर की गई सभी टिप्पणियों तथा निदेशक व लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की प्राप्ति, स्वीकार्यता एवं अभिग्रहण।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त मैसर्स मेहरा एंड सिस्तानी, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक को देय परितोषक/ फीस को निर्धारित करने के लिए निदेशक मण्डल को अधिकृत करना।

इंडियन वैक्सीन्ज़ कॉर्पोरेशन के
निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

(सी. पी. गोयल)

निदेशक (इक्वॉल)

पता : 89 (टाइप सी - II)

चाणक्यपुरी

नई दिल्ली - 110021

स्थान : दिल्ली

दिनांक :

टिप्पणियां :

1. एक सदस्य को इस बैठक में भाग लेने और मतदान करने की पात्रता है तथा वह स्वयं के स्थान पर एक परिपत्री को नियुक्त कर सकता है तथा इस परिपत्री का कंपनी में सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। परिपत्र फार्म के प्रभावी होने के लिए, परिपत्र फार्म का सम्पूर्ण रूप में कंपनी के कार्यालय में आम सभा के समय कम से कम 48 घंटे पहले पहुंचना आवश्यक है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक हिस्से को रखने वाले व्यक्ति को परिपत्री के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है, तब यह परिपत्री किसी अन्य सदस्य का परिपत्री नहीं बन सकता है।
2. कॉर्पोरेट सदस्य जो अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने के लिए भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए बोर्ड के संकल्प से अधिकृत करते हुए विधिवत् प्रमाणित प्रति भेजें।
3. बैठक शुरू होने के लिए नियत समय से 24 घण्टे पहले की अवधि के दौरान और बैठक के निष्कर्ष के समापन पर एक सदस्य को कंपनी के व्यापार कार्य समय के दौरान किसी भी समय दर्ज किए गए परिपत्रियों का निरीक्षण करने की पात्रता होगी, बशर्ते कि कंपनी को लिखित में कम से कम तीन दिन पहले सूचना दी जाती है।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और उनकी शेयर धारिता के रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया है और संविदाओं या व्यवस्थाओं के रजिस्टर बनाए गए हैं, जिनमें निदेशकों की रुचि है, इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुरक्षित किया गया है तथा सूचना और व्याख्यात्मक कथनों में संदर्भित सभी दस्तावेज वार्षिक आम सभा के समापन तक इसके साथ पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कार्य समय के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. एक उपस्थिति की पर्ची और परिपत्री प्रपत्र संलग्न हैं।
6. वार्षिक आम बैठक के स्थल पर पहुंचने के लिए एक मार्ग मानचित्र सहित आसानी से पता लगाने के लिए पहचान के चिन्ह का विवरण संलग्न है।

उपस्थिति स्लिप

(प्रवेश पर प्रस्तुत की जाए)

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गांव नैनवाल, डाक खाना मानेसर, गुडगांव में

..... को बजे इकत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक

सीआईएन : यू74900एचआर1989जीओआई030516, टेल. : 011-24361208

फोलियो नं.

सदस्य का नाम हस्ताक्षर

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम (निकाय निगम) हस्ताक्षर

परिपत्र धारक का नाम : हस्ताक्षर

मैं एतद्द्वारा गांव नैनवाल, डाक. मानेसर, गुडगांव में 31वीं वार्षिक आम बैठक

..... में अपनी उपस्थिति दर्ज

करता हूं।

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गांव नैनवाल, डाक खाना मानेसर, गुड़गांव
सीआईएन : यू74900एचआर1989जीओआई030516, टेल. : 011-24361208

प्रपत्र सं. एमजीटी -11

परिपत्री प्रपत्र

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 105 (6) और कम्पनियों (प्रबंधन और प्रशासन) के
2014 के नियमों के नियम 19(3) के अनुसार)

सीआईएन : यू74900एचआर1989जीओआई030516

कंपनी का नाम : इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : गांव नैनवाल, डाक खाना मानेसर, गुड़गांव

सदस्य का नाम :	
पंजीकृत पता :	
ई-मेल आईडी :	
फोलियो सं. / क्लाइंट आईडी :	
डीपी आईडी :	

मैं/ हम, उपरोक्त कम्पनी के सदस्य जिनके पास उपरोक्त कम्पनी के शेयर हैं इस पत्र के द्वारा नियुक्त करता हूँ/ करते हैं।

1.	
नाम :	
पता :	
ई-मेल आईडी :	
हस्ताक्षर : या उसकी विफलता	

2.	
नाम :	
पता :	
ई-मेल आईडी :	
हस्ताक्षर : या उसकी विफलता	

3.	
नाम :	
पता :	
ई-मेल आईडी :	
हस्ताक्षर : या उसकी विफलता	

मैं /हमारे, परिपत्री के रूप में और (मतदान होने पर) कम्पनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक / में, जो कि को गांव नैनवाल, डाकखाना मानेसर, गुड़गांव पर या स्थगन उपरांत होगी तथा निम्न प्रस्तावों पर या स्थगन उपरान्त मेरा/हमारे, स्थान पर आएंगे और मेरी/हमारी ओर से निम्न प्रस्तावों पर मतदान करेंगे :

संकल्प सं.	विवरण या संकल्प	के लिए	के विरुद्ध
सामान्य कार्यकलाप			
1.	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरण को अभिग्रहण हेतु प्रस्ताव।		
2.	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मै. मेहरा एंड सिस्तानी के लिए परिलब्धि / शुल्क का निर्णय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने हेतु भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति करने हेतु।		

हस्ताक्षर.....दिनांक.....के..... 2020

राजस्व मुहर लगाएं

सदस्य के हस्ताक्षर

परिपत्री के हस्ताक्षर

टिप्पणी : यह परिपत्र फार्म तभी प्रभावी होगा जब इस को सम्पूर्ण रूप में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आम सभा के शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा कराया जाएगा।

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारियों

आपके निदेशकों को कम्पनी के कार्यकलापों के इकत्तीसवें वार्षिक प्रतिवेदन और 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय लेखा-विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय निष्पादन

		(हजारों रुपए में)	
क्र. सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1.	प्रचालन से राजस्व	2,387	2,162
2.	कर्मचारी लाभ	1,201	876
3.	मूल्यह्रास और परिशोधन	2,074	3,227
4.	कर और असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ	(3,409)	(3,705)
5.	असाधारण वस्तुएं	(1,083)	(1,083)
6.	आस्थगित कर परिसंपत्ति	(42)	(6)
	निवल लाभ / (हानि)	(4,451)	(4,794)

प्रचालन का सारांश

वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई वाणिज्यिक या उत्पादन गतिविधि नहीं थी।

शेयर पूंजी

इस समय कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपए है जोकि 10 रुपए प्रति शेयर के आधार पर 5 करोड़ शेयरों की कीमत है।

कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 18,78,93,820 रुपए है जो कि 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1,87,89,382 शेयरों की कीमत है।

आरक्षित के लिए स्थानांतरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी ने सामान्य आरक्षित में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

लाभांश

वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी में संचित हानि है इस लिए निदेशकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

सचिव मानक

‘निदेशक मंडल की बैठकों’ और ‘आम बैठकों’ से संबंधित लागू सचिवालय मानक अर्थात एसएस-1 और एसएस-2 का क्रमशः कम्पनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

निदेशक मंडल

श्री सी. पी. गोयल	निदेशक	(30.03.2016 से प्रभावी)
डॉ. मोहम्मद असलम	निदेशक	(30.03.2016 से प्रभावी)
श्री श्रीवल्लभ गोयल	निदेशक	(30.07.2009 से प्रभावी)
श्री सुधीर कुमार जैन	निदेशक	(31.12.2014 से प्रभावी)

बोर्ड बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

वर्ष के दौरान, बोर्ड की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं जो 19 जुलाई 2019, 29 जुलाई 2019, 22 नवंबर 2019 और 10 फरवरी 2020 को आयोजित की गईं।

बोर्ड बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

वर्ष के दौरान, बोर्ड की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं जो 19 जुलाई 2019, 29 जुलाई 2019, 22 नवंबर 2019 और 10 फरवरी 2020 को आयोजित की गईं।

निदेशक का नाम	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्य की सं.
श्री श्रीवल्लभ गोयल	4	1
श्री सुधीर कुमार जैन	4	3
श्री सी. पी. गोयल	4	4
डॉ. मोहम्मद असलम	4	2

निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ।

निदेशक मंडल ने 29 जुलाई, 2019 को हुई बैठक में 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी श्री हनी गुप्ता को कंपनी के सचिव के रूप में नियुक्त किया।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी वक्तव्य :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) की आवश्यकतानुसार, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- (i) 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वार्षिक लेखा को बनाने में अधिनियम की अनुसूची 3 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखा मानकों को भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ साथ किया गया है;
- (ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया तथा उनको अविरोध लागू किया तथा निर्णय दिए तथा अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि कंपनी के मामलों की

स्थिति के बारे में 31 मार्च, 2020 तक और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

- (iii) इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निदेशकों ने उचित व यथेष्ट लेखा अभिलेख अनुरक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया ताकि कम्पनी की परिसंपत्तियों की रक्षा हो सके तथा छल कपट व अन्य विषमताओं को रोका व पकड़ा जा सके;
- (iv) निदेशकों ने जारी मामले के आधार पर वार्षिक लेखा को तैयार किया है;
- (v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे हैं; तथा
- (vi) निदेशकों ने ऐसी पद्धतियां निकाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी लागू प्रावधानों का पर्याप्त व प्रभावी ढंग से पालन हो रहा है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एन) के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान करना शामिल है, बोर्ड की राय में जिनसे कंपनी के अस्तित्व, जोखिमों का मूल्यांकन, निगरानी और पहचान योग्य जोखिम को कम करने का खतरा हो सकता है।

धारक कंपनी और सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

भारत सरकार (जीओआई) के पास कंपनी में 67.67 प्रतिशत शेयर हैं, इसलिए कंपनी सरकारी कंपनी की श्रेणी में आती है।

कंपनी के पास कोई सहायक, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है। हालांकि कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एसोसिएट्स कंपनी बनी हुई है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति :

सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार महालेखा नियंत्रक व लेखा परीक्षक की सिफारिश पर वर्ष 2019-2020 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मै. मेहरा एंड सिस्तानी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

31.03.2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण प्रतिकूल या अस्वीकरण शामिल नहीं है। हालांकि, रिपोर्ट संशोधित और स्व-व्याख्यात्मक है।

इसके अलावा 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

संबंधित इकाइयों के साथ संविदा और व्यवस्था

इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी संविदा में प्रवेश नहीं किया है, संबंधित इकाई के साथ व्यवस्था कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधान के तहत आती है, इसलिए एओसी-2 में प्रकटीकरण कंपनी पर लागू नहीं होता है।

निगम का सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन और सीएसआर कार्यों पर खर्च का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास सभी क्षेत्रों में व्यापार के आकार और कार्य के अनुसार प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कार्यरत है।

लागत लेखा परीक्षण

कंपनियों के नियम (परीक्षण व परीक्षक) 2014 के अनुसार, लागत परीक्षा प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं है।

दिए गए ऋणों, किए गए निवेशों, दी गई गारंटी एवं प्रदान की गई प्रतिभूतियों के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के संदर्भ में कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के साथ पठित नियम के अनुसार तुलना पत्र की क्लोजर तिथि के अनुसार कंपनी ने न तो वर्ष के दौरान कोई जमा राशि ली है और न ही मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया थी।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा कमाई व खर्च

(क) ऊर्जा संरक्षण

(i)	ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए कार्य और उनके प्रभाव	क्योंकि आपकी कंपनी इस समय कोई व्यापारिक कार्य नहीं कर रही है, विवरण शून्य हैं
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	
(iii)	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश	

(ख) तकनीकी समावेश

(i)	तकनीकी समावेश हेतु किए गए प्रयत्न	क्योंकि आपकी कंपनी इस समय कोई व्यापारिक कार्य नहीं कर रही है, विवरण शून्य हैं
(ii)	लाभ प्राप्त हुए जैसे उत्पाद में सुधार, खर्च में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन	
(iii)	आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लिया जाए)	लागू नहीं
	(क) आयात की गई प्रौद्योगिकी के विवरण	
	(ख) आयात का वर्ष	
	(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह समामेलित की गई	
	(घ) यदि पूरी तरह समामेलित नहीं की गई तो वे क्षेत्र जहां समामेलन नहीं किया गया और इसके कारण	
(iv)	अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय	शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा कमाई और खर्च

वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में कमाई और खर्च नहीं है।

वार्षिक विवरण का उद्धरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) व कम्पनी के नियम 12 (1) (प्रबंधन व प्रशासन) नियम के अनुसार कंपनी के वार्षिक विवरण का उद्धरण इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।

कर्मचारियों का विवरण

आपकी कंपनी एक अनुसूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, कंपनियां (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत आवश्यक रूप में कर्मचारी पारिश्रमिक के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

नियामकों द्वारा महत्वपूर्ण आदेश

किसी नियामक, न्यायालय और अधिकरण द्वारा कोई बड़ा या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं हुआ है, जिससे कम्पनी की चालू इकाई स्थिति या भावी प्रचालन पर कोई प्रभाव हो।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है।

प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

निपटाए गए शिकायतों की संख्या : शून्य

अभिस्वीकृति

आप के निदेशक सभी सदस्यों का, उनके द्वारा समीक्षित वर्ष के लिए दी सहायता और सहयोग के लिए सच्चे मन से आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और उनकी निष्कपटता के लिए उनकी सराहना करते हैं, और उसे लेखबद्ध करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सी. पी. गोयल
(निदेशक)
डीआईएन : 07363048
पता : 89 (टाइप सी-।।)
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021

सुधीर कुमार जैन
(निदेशक)
डीआईएन : 05205213
पता : चौथा तल, घर नं. 47,
डीडीए साइट - I, भांकर रोड
न्यू राजेन्द्र नगर
नई दिल्ली -110060

दिनांक :
स्थल : दिल्ली

प्रपत्र सं. एमजीटी-9
 वार्षिक विवरणी का उद्धरण
 (31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार
 कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 92 (3)
 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014
 के नियम 12 (1) के अनुसार)

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i.	सीआईएन	यू74900एचआर1989जीओआई030516
ii.	पंजीकरण की तिथि	27.03.1989
iii.	कंपनी का नाम	इंडियन वैक्सीन्ज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	गांव : नैनवाल, डाक खाना मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा फोन नं. – 011-24361208
vi.	सूचित कंपनी है या नहीं	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	मेसर्स के फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं- 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगामपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत, 500032 संपर्क नं. : 040-67162022

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियां

सभी व्यापारिक गतिविधियां जिनका योगदान कंपनी के पूर्ण टर्न ओवर में 10 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

क) निकाय निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) प्रवासी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) 1 लाख रुपए तक नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) 1 लाख से अधिक में नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (विशिष्ट)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (ख) (2) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षकों द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (क+ख+ग)	6263126	12526256	18789382	100	6263126	12526256	18789382	100	शून्य

ii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता	वर्ष के अंत में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत का बदलाव

		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के गिरवी / ऋणग्रस्त कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के गिरवी / ऋणग्रस्त कुल शेयरों का प्रतिशत	
1	जी. ओ. आई.	12526256	66.67%	शून्य	12526256	66.67%	शून्य	शून्य
2	आरआईएल	6263126	33.33%	शून्य	6263126	33.33%	शून्य	शून्य

(iii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (कृपया यदि परिवर्तन नहीं है तो स्पष्ट करें)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में	18789382	100	18789382	100
	वृद्धि / कमी (अर्थात आबंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	18789382	100	18789382	100

4) सर्वोच्च दस शेयर धारियों का प्रतिरूप (निदेशकों, प्रवर्तकों और जी.डी.आर. तथा ए.डी.आर.

धारकों को छोड़कर) – शून्य

5) निदेशकों एवं महत्वपूर्ण प्रबंधकीय वर्ग की शेयर धारिता – शून्य

6) ऋणग्रस्तता – (ग) सचिव का 2019–20 का पारिश्रमिक 2,00,000 / – है।

7) निदेशकों एवं महत्वपूर्ण प्रबंधकीय वर्ग का पारिश्रमिक – शून्य

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक को परिलब्धि

ख. अन्य निदेशकों को परिलब्धि

ग. मुख्य प्रबंध कर्मिको को परिलब्धि जो प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक के अलावा हैं।

8) जुर्माना/दण्ड/ संयोजित अपराध – शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सी. पी. गोयल
निदेशक
डीआईएन : 07363048
पता : 89 (टाइप सी-।।),
चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली – 110021

सुधीर कुमार जैन
(निदेशक)
डीआईएन : 05205213
पता : चौथा तल, घर नं. 47,
डीडीए साइट -1, शंकर रोड, न्यू राजेन्द्र नगर,
नई दिल्ली –110060

तिथि :

स्थान : दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन

अभिमत

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के संलग्न वित्तीय विवरणों जिन में तुलन-पत्र तथा वर्ष समाप्ति पर हानि-लाभ खाते तथा रोकड़ प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य स्पष्टीकरणों में दी गई सूचना है, उनका अंकेक्षण हमने किया है।

हमारे विचार में और हमारी अधिकतर जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार उपरोक्त वित्तीय लेखा विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा वांछित जानकारी निहित रीति में तथा भारत में सामान्य रूप से मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप कम्पनी के 31 मार्च 2020 तक के लेखा जोखा, हानि और इस तिथि को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह के विषय में सही तथा उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत लेखा परीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के लिए संगत नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण विषयवस्तु

हम वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के विषय में ध्यान आकर्षित करते हैं :

क) वित्तीय विवरणों के विषय में टिप्पणी संख्या 9.1 जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के परिणाम की अनिश्चितता के बारे में बताया गया है।

- ख) कंपनी को वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी 9 में 2,26,09,370 रुपए की शंकास्पद वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसके कारण वर्तमान परिसंपत्तियों का अधिक मूल्य घटा है और वर्ष के लिए नुकसान पूर्वोक्त राशि के आधार पर कम है।
- ग) कंपनी ने आयकर की 30,68,370 रु. मांग सहित ब्याज के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 के अधीन आकलन वर्ष 2013-14 के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया है, जिसे आकलन अधिकारी द्वारा उठाया गया और जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 264 के तहत कम्पनी के पुनरीक्षण की याचिका को आयकर आयुक्त 04, नई दिल्ली द्वारा खारिज किया गया था। कथित आदेश के प्रति कम्पनी द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है।
- घ) नीति आयोग ने कंपनी के विनिवेश की सिफारिश की है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की जारी संगठन की धारणा संदेह में है।

इस विषय में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं है।

अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और इस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के विषय में अधिकारीगण का उत्तरदायित्व

वित्तीय विवरणों के विषय में कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल का दायित्व है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में लिखित विषयवस्तु के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों का इस प्रकार नियोजन करें कि वह कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें तथा जो भारत में सामान्य रूप से मान्य लेखा सिद्धान्तों और अधिनियम की धारा 133 में निर्देशित लेखा मानक के अनुरूप हों। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की संपत्तियों की छलकपटता और अन्य विषमताओं से सुरक्षा हेतु और कम्पनी अधिनियम के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख अनुरक्षक सम्मिलित है और लेखा

सिद्धांतों का चयन और पालन करना उचित और विवेकपूर्ण निर्णय करना, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना और निष्पादन करना भी सम्मिलित है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि लेखा अभिलेख पूर्ण रूप से सही हैं तथा वित्तीय विवरणों के आयोजन और निष्पादन इस प्रकार हो सके ताकि उनमें चूक से या कपट से कोई मिथ्या कथन न हो और वह एक उचित और सच्चा दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी के एक चालू संगठन के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, जैसा लागू हो, चालू संगठन से संबंधित मामले और लेखा को चालू संगठन के रूप में उपयोग करने से संबंधित मामले के लिए जिम्मेदार होते हैं जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी का संचालन बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण सामग्री के गलत कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन यह उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा में हमेशा किसी सामग्री के गलत विवरण मौजूद होने पर इसका पता लगाया जाएगा। गलत कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी कहते हैं :

क) वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न सामग्री के गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली एक गलती से होने की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण के ओवरराइड शामिल हो सकते हैं।

ख) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

ग) उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

घ) प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन द्वारा लेखा के चालू संगठन के आधार पर उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालना, क्या ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू संगठन के होने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान देने या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू संगठन बने रहने से रोक सकती हैं।

ड) प्रकटनों सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण एक तरीके से अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन से जुड़े उन लोगों को भी एक कथन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता को वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो।

शासन के साथ जुड़े मामलों से संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ की ओर झुकने की अपेक्षा होगी।

अन्य वैध और विनियम संबंधी आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन।

1. कम्पनी के (परीक्षकों का प्रतिवेदन) के विषय में अधिनियम की धारा 143 (11) के अंतर्गत केंद्रीय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश वर्ष 2016 (आदेश) की अपेक्षा के अनुसार हमारा वक्तव्य संबंधित आदेश के पैरा 3 और 4 में दिए गए विषयों में अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा अनुसार हमारा प्रतिवेदन है कि :-

क. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण हेतु जिस सूचना और स्पष्टीकरणों की हमें आवश्यकता थी वह हमने प्राप्त कर लिए हैं।

ख. हमारी राय में खातों को देखने से पता चलता है कि विधि के अनुसार आवश्यक सभी खाते कंपनी ने उचित ढंग से रखे हुए हैं।

ग. इस प्रतिवेदन से जिस तुलन-पत्र एवं हानि-लाभ खाते का संबंध है वह बहियों में दर्शाए खातों के अनुरूप है।

घ. हमारे विचार में तुलन-पत्र तथा हानि लाभ खाते कम्पनी अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखाविधि मानक का तथा कम्पनी के नियमों (लेखा) 2014 के नियम 7 का पालन करते हैं,

ङ. कम्पनी अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार व निदेशकों के 31 मार्च 2020 वर्ष संबंधी लिखित अभिवेदन, जिसे निदेशक मंडल की बैठक में अभिलेखबद्ध किया गया, के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि 31 मार्च 2020 को कोई भी निदेशक नियुक्ति के अयोग्य नहीं है।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और उक्त नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के साथ हम अपनी पृथक रिपोर्ट 'अनुलग्नक ख' में संलग्न करते हैं।

छ. कम्पनियों (परीक्षण व परीक्षक) के नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य विषय जो कि परीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित होने हैं, हमारे विचार और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों अनुसार निम्न है :

- i. कम्पनी ने लंबित मुकदमों की वित्तीय व्यवस्था व वित्तीय विवरणों पर प्रभाव के विषय में जानकारी दी है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या नं. 10.1 और 20 देखें।
- ii. कम्पनी में कोई दीर्घकालिक व व्युत्पादित अनुबंध नहीं है जिससे निकट भविष्य में कोई हानि का अनुमान हो।
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जो निवेशक शिक्षा व आरक्षण कोष में कम्पनी द्वारा देय है।

3. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) की आवश्यकता अनुसार हम प्रतिवेदित करते हैं :

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली नहीं है।

- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऋण चुकाने के लिए कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए डेबिट / ऋणों / ब्याज आदि की छूट / बट्टे खाते के मौजूदा ऋण या मामलों का पुनर्गठन नहीं किया गया था।
- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए / प्राप्य निधि प्राप्त नहीं हुई है।

मेहरा एंड सिस्तनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

(संजीव राय मेहरा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080402
एफ. आर. सं. 000409एन
यूडीआईएन : 20080402एएएएसीआई9680

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 सितंबर 2020

स्वतंत्र लेखा प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट में जिसका उल्लेख शीर्षक "अन्य कानूनी और विनियम सम्बंधी आवश्यकताएं" के पैरा 1 में है :

1. अचल परिसंपत्तियों के विषय में :

- क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के अभिलेख उपयुक्त ढंग से रखे हुए हैं तथा उन में मात्रात्मक विवरण और स्थिति पूर्ण रूप से दर्शाए गए हैं।
- ख) प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का यथोचित अंतराल पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जो कि हमारे विचार में और कम्पनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उचित हैं।
- ग) हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच से शीर्ष विलेख की वैधता के कानूनी निर्धारण के अधीन, सभी अचल परिसंपत्तियां कंपनी के नाम पर रखी गई हैं।

2. सामान सूची के विषय में :

क्योंकि कंपनी किसी व्यवसायिक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है इसलिए कोई सामान सूची कम्पनी में नहीं है।

- 3. हमें दी गई सूचना और व्याख्या अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी या फर्म या किसी और पार्टी से जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे रजिस्टर में सम्मिलित हो, ना तो प्रतिभूति और न ही प्रतिभूति-रहित कोई ऋण लिया है और न ही कोई ऋण दिया है, अतः पैरा 3 के खण्ड (3) कंपनी पर लागू नहीं है।
- 4. हमारे विचार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निवेश, ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 की आवश्यकताओं का पालन किया है।
- 5. हमारे विचार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार और धारा 73 और 76 या अधिनियम के अन्य किसी संगत प्रावधान और इनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। अतः आदेश के पैरा 3 के खण्ड (v) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत भारत सरकार ने कंपनी के द्वारा निर्मित कुछ वस्तुओं के लिए लागत अभिलेख का प्रावधान किया है परन्तु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखना कंपनी पर लागू नहीं है।

7. सांविधिक देयताओं के विषय में :

क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक देयताओं, जिन में भविष्य निधि, कर्मचारी राजकीय बीमा, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर अथवा अन्य सांविधिक देय शामिल है, को नियमित रूप से संबंधित अधिकारी के पास जमा करती है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त देयता के विषय में कोई भी अविवादित राशि देय तिथि से 6 मास से अधिक समय तक 31 मार्च 2020 को बकाया नहीं थी :

विधान का नाम	देय का प्रकार	राशि (रु.)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	देय तिथि	भुगतान की तिथि	टिप्पणी यदि कोई हो
आयकर अधिनियम, 1961	156 के तहत मांग	30,68,867	आकलन वर्ष 2013-14	27.01.2016	—	कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 264 के तहत एक संशोधन आवेदन दायर किया है। आयकर 04, नई दिल्ली के प्रधान आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया है।

ii. इवकोल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के सदस्यों के लिए आबंटित 2,54,000 रुपए की भविष्य निधि योगदान पर ब्याज में कमी को प्रबंधन द्वारा अनुमोदन के लिए लंबित होने के कारण भुगतान नहीं किया गया था।

ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित के अतिरिक्त आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क एवं उपकर की कोई राशि ऐसी नहीं है जो कि विवाद के कारण संबंधित अधिकारी के पास लम्बित है, सिवाय इन्हें छोड़कर :

आकलन वर्ष	मंच	मांग की गई राशि	जमा राशि	टिप्पणी
1992-93	सर्वोच्च न्यायालय	84.69 लाख रुपए	69.20 लाख रुपए	माननीय उच्च न्यायलय ने कंपनी के विरुद्ध फैसला किया था और कंपनी की एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार की गई है किन्तु मामले को अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

8. हमारे लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा व्याख्या के अनुसार, हमारी राय यह है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों, सरकार या डिबेंचर धारकों को ऋण या उधार के पुनः भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
9. हमें दी गई सूचना तथा व्याख्या के अनुसार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) द्वारा धन की उगाही और वित्तीय वर्ष के दौरान सावधि ऋण नहीं लिए गए।
10. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई सूचना तथा व्याख्या के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई छलकपट नहीं किया गया है या कंपनी पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई छलकपट वर्ष के दौरान न तो देखे गए और न ही रिपोर्ट किए गए हैं।
11. कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार और हमें दी गई सूचना तथा व्याख्या के अनुसार कंपनी किसी प्रकार से प्रबंधकीय परिलब्धि का भुगतान नहीं करती है।
12. हमें दी गई सूचना तथा व्याख्या के अनुसार हमारी राय में कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 के खण्ड (12) के अनुसार यह कंपनी पर लागू नहीं है।
13. हमें दी गई सूचना तथा व्याख्या के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में किए गए हैं और उक्त लेन देनों के विवरण वित्तीय वक्तव्यों में प्रकट किए गए हैं, जैसा लागू लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।
14. हमें दी गई सूचना तथा व्याख्या के अनुसार और हमारी राय में कंपनी ने कोई अधिमानी आबंटन या शेयरों अथवा डिबेंचरों का निजी नियोजन वर्ष के दौरान नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 के खण्ड (14) के अनुसार यह कंपनी पर लागू नहीं है।

15. कं॒पनी की बहियों और रिकॉर्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार हमें दी गई सूचना तथा व्याख्या के अनुसार, कं॒पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ गैर नकद के कोई लेन देन कं॒पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं किए हैं। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 के खण्ड (15) के अनुसार यह कं॒पनी पर लागू नहीं है।
16. हमारी राय में, कं॒पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 1ए के तहत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 के खण्ड (16) के अनुसार यह कं॒पनी पर लागू नहीं है।

मेहरा एंड सिस्तनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

(संजीव राय मेहरा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080402
एफ. आर. सं. 000409एन
यूडीआईएन : 20080402एएएएसीआई9680

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 सितंबर 2020

स्वतंत्र लेखा प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक 2

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 2 (च) में संदर्भित अनुलग्नक।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2020 के अनुसार इण्डियन वैक्सिन्ज़ कॉर्पोरेशन ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के अपने लेखा परीक्षण के अनुसार किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन टिप्पणी') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करने के बाद कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों के पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, छलकपट और त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता तथा भरोसेमंद वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित इसके कार्यकलापों के उचित और दक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए गए थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने मार्गदर्शन टिप्पणी और लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू सीमा तक आयोजित किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट करने के लिए उचित और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी में आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इसके बारे में उचित आश्वासन पाने के लिए लेखा परीक्षण का निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए और क्या उक्त नियंत्रण सभी तथ्यात्मक संदर्भों में प्रभावी रूप से प्रचालित किए गए।

हमारे लेखा परीक्षण में लेखा परीक्षण का साक्ष्य पाने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन वित्तीय रिपोर्टिंग तथा उनके प्रभावी रूप से प्रचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, सामग्री की दुर्बलता पर मौजूद जोखिमों का आकलन, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर चुनी गई प्रक्रियाओं सहित वित्तीय वक्तव्यों के तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है कि क्या यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह पर्याप्त और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर इनके आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करती है जो उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय वक्तव्य तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयार की गई है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो 1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित जो पर्याप्त विस्तार, शुद्धता और निष्पक्षता से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन देन और स्वरूप को दर्शाते हैं, 2. उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन देन सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों में अनुमति तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए गए हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए गए हैं, और 3. अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम या समय पर पता लगाने, कंपनी की परिसंपत्तियों के उपयोग या स्वरूप के विषय में उचित आश्वासन प्रदान करना जिससे वित्तीय वक्तव्यों पर तथ्यात्मक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की आंतरिक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की आंतरिक सीमाओं के कारण जिसमें नियंत्रणों पर मिली भगत या अनुचित प्रबंधन ओवर राइड की संभावना, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्यात्मक गलत विवरण हो सकते हैं और इसका पता नहीं लग सकता है। भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव या पालन के स्तर के अनुसार उन नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अपर्याप्त हो सकते हैं जिनमें कमी हो सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्त प्रणाली है और उक्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2020 के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित थे जो कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्ग दर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए।

मेहरा एंड सिस्तनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

(संजीव राय मेहरा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080402
एफ. आर. सं. 000409एन
यूडीआईएन : 20080402एएएएसीआई9680

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 सितंबर 2020

इंडियन वैक्सीन्ज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) में निर्धारित रूपरेखा के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन के अनुरूप इंडियन वैक्सीन्ज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2019 वर्ष समाप्ति पर वित्तीय विवरणों का आयोजन कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांघिक परीक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वे अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार अपने स्वतंत्र परीक्षण द्वारा, इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपने विचार अभिव्यक्त करें। अपने दिनांक 08.09.2020 के परीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उन्होंने यह कहा है कि हमने ऐसा ही किया है।

मैंने भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन वैक्सीन्ज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों का पूरक लेखा परीक्षण अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत आयोजित की गई है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की पूछताछ और खाता खोलने के कुछ रिकार्डों की एक चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे ज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे कि अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी तरह की टिप्पणी दी जाएगी।

कृते भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक

स्थल : नई दिल्ली
दिनांक : 08.12.2020

महानिदेशक, लेखा परीक्षा
(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)

इंडियन वैक्सीन्ज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : गांव मानेसर, मानेसर तालुक, गुरुग्राम, हरियाणा

सीआईएन: यू 74900एचआर1989जीओआई030516

31 मार्च 2020 के अनुसार तुलन पत्र

हजार रुपए में

	विवरण	टिप्पणी	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
I	इक्विटी और देयताएं			
1	शेयरधारिता निधियां			
	(क) शेयर पूंजी	2	187,894	187,894
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	3	(105,094)	(100,643)
2	शेयर आवेदन धन राशि लंबित आबंटन		-	-
3	गैर – वर्तमान देयताएं			
	(क) दीर्घ अवधि ऋण		-	-
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
	(ग) अन्य दीर्घ अवधि देयताएं		-	-
	(घ) दीर्घ अवधि प्रावधन	4	15,118	16,075
4	वर्तमान देयताएं			
	(क) अल्पावधि ऋण		-	-
	(ख) व्यापारीय देय		-	-
	(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	5	787	171
	कुल		98,705	103,497
II.	परिसंपत्तियां			
	गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
1	(क) अचल परिसंपत्तियां			
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	6	20,916	51,915
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-

	(iii) प्रगति में पूंजी कार्य		-	-
	(iv) विकास के तहत मूर्त परिसंपत्तियां		-	-
	(ख) गैर वर्तमान निवेश		-	-
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7	271	230
	(घ) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	8	11,547	11,547
	(ङ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	9	22,609	22,609
2	वर्तमान परिसंपत्तियां			
	(क) वर्तमान निवेश		-	-
	(ख) मालसूची		-	-
	(ग) व्यापारीय पावतियां		-	-
	(घ) नकद और नकद समकक्ष	10	40,684	14,795
	(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम		-	-
	(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	2,678	2,401
	कुल		98,705	103,497

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
उल्लेखनीय लेखा नीतियां तथा वित्तीय वक्तव्यों
पर टिप्पणियां

1 से 26

मेहरा एंड सिस्तनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ. आर. एन. सं. 000409एन

मंडल के लिए और उनकी ओर से

(संजीव राय मेहरा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080402

स्थल : नई दिल्ली
दिनांक : 08.09.2020

(श्री सी. पी. गोयल)
निदेशक
सदस्यता सं.
07363048

(सुधीर जैन)
निदेशक
सदस्यता सं.
05205213

इंडियन वैक्सीन्ज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : गांव मानेसर, मानेसर तालुक, गुरुग्राम, हरियाणा

सीआईएन: यू 74900एचआर1989जीओआई030516

31 मार्च 2020 के अंतिम वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण

हजार रुपए में

	विवरण	टिप्पणी	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
I.	प्रचालन से राजस्व		-	-
II.	अन्य आय	12	2,387	2,162
III.	अन्य आय (I+II)		2,387	2,162
IV.	व्यय :			
	खपत हुई सामग्री की लागत		-	-
	व्यापार में भंडार की खरीद		-	-
	प्रगति में पूरे किए गए सामग्री कार्य और व्यापार में भंडार की मालसूचियों में बदलाव		-	-
	कर्मचारियों के लाभकारी व्यय	13	1,201	894
	वित्तीय लागत		-	-
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	14	2,074	3,227
	अन्य व्यय	15	2,522	1,746
	कुल व्यय		5,797	5,867

V.	अपवाद और अतिअसाधारण मदों और कर (III-IV) पूर्व लाभ अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते		3410	(3,705)
VI.	अपवाद मदें	16	(1,083)	(1,083)
VII.	अतिअसाधारण मदों और कर से पहले लाभ (V - VI)		(4,493)	(4,788)
VIII.	अतिअसाधारण मदें – पूर्व अवधि व्यय		-	-
IX.	कर से पहले लाभ (VII- VIII)		(4,493)	(4,788)
X	कर व्यय :			
	1) पिछले वर्ष का कर		-	-
	2) वर्तमान कर		-	-
	3) आस्थगित कर परिसंपत्ति (टिप्पणी 8.1 देखें)		42	(6)
XI	जारी किए गए प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (हानि) (IX-X)		(4,451)	(4,794)
XII	रोके गए प्रचालनों से लाभ / (हानि)		-	-
XIII	रोके गए प्रचालनों के कर व्यय		-	-
XIV	रोके गए प्रचालनों (कर के बाद) से लाभ / (हानि) (XII-XIII)		-	-
XV	अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI + XIV)		(4,451)	(4,794)
XVI	प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (असाधारण मदों के बाद) :			
	1) मूल		(0.24)	(0.26)
	2) तनुकृत		(0.24)	(0.26)
	प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन (असाधारण मदों के पहले) :			
	1) मूल		(0.18)	(0.20)
	2) तनुकृत		(0.18)	(0.20)

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार उल्लेखनीय लेखा नीतियां तथा वित्तीय वक्तव्यों पर टिप्पणियां

मेहरा ँड सिस्तनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ. आर. एन. सं. 000409एन

मंडल के लिए और उनकी ओर से

(संजीव राय मेहरा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080402
स्थल : नई दिल्ली
दिनांक : 08.09.2020

(श्री सी. पी. गोयल)
निदेशक
सदस्यता सं. 07363048

(सुधीर जैन)
निदेशक
सदस्यता सं. 05205213

इंडियन वैक्सीन्ज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह वक्तव्य

हजार रुपए में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
असाधारण मदों से पहले निवल लाभ / हानि) और कर	(4,493)	(4,788)
के लिए समायोजित :		
मूल्यह्रास और परिशोधन	2,074	3,227
पट्टा किराए से प्राप्त ब्याज और आय	(2,387)	(2,162)
भवन की बिक्री पर नुकसार	736	
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पहले प्रचालन (लाभ) / हानि	(4,070)	(3,723)
के लिए समायोजित :		
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां और देयताएं		
दीर्घ अवधि प्रावधान	(957)	121
दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	-	-
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां और देयताएं		
अन्य वर्तमान देयताएं	616	(145)
अल्पावधि प्रावधान		1,084
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(278)	(213)
प्रचालनों से उत्पन्न नकद	(4,689)	(2,876)

भुगतानित आय कर	-	-
प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद (क)	(4,689)	(2,876)
ख. निवेश करने वाली गतिविधियों से नकद प्रवाह		
भवन की बिक्री	28,191	-
प्राप्त ब्याज और पट्टा किराए से आय	2,387	2,162
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद (ख)	30,578	2,162
ग. निधिकरण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
उधार से दीर्घ अवधि से प्राप्तियां	-	-
उधार से दीर्घ अवधि से पुनः भुगतान	-	-
भुगतानित वित्तीय लागत	-	-
निधिकरण गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद (ग)	-	-
निवल	25,889	(714)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	14,795	15,509
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष *	40,684	14,795

टिप्पणियां :

- (i) नकद प्रवाह विवरण में जारी प्रचालनों से संबंधित संयुक्त नकद प्रवाह दर्शाए गए हैं।
- (ii) सभी आंकड़े कोष्ठक में बाह्यवाह / कमी में हैं।
- (iii) पिछले वर्ष के आंकड़ों को अनिवार्य होने पर पुनः समूहित / पुनः कथित किया गया है।
- (iv) * नकद और नकद समकक्ष टिप्पणी सं. 11 में दर्शाए गए बैंक की शेष राशियां हैं।
- (v) लेखा मानक (एएस)-3 में नकद प्रवाह विवरण तैयार करते समय अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया गया है।

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

मेहरा एंड सिस्तनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ. आर. एन. सं. 000409एन

मंडल के लिए और उनकी ओर से

(संजीव राय मेहरा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080402
स्थल : नई दिल्ली
दिनांक : 08.09.2020

(श्री सी. पी. गोयल)
निदेशक
सदस्यता सं.
07363048

(सुधीर जैन)
निदेशक
सदस्यता सं.
05205213

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 1.

क) नैगम सिंहावलोकन

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन संख्या यू74900एचआर1989जीओआई030516) का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 27.03.1989 को किया गया था तथा इसका पंजीकृत कार्यालय गांव नैनवाल, दिल्ली – जयपुर राजमार्ग (एनएच8), डाक खाना मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा – 122050 में है। कंपनी को टीका विनिर्माण के उद्देश्य से आरंभ किया गया है, किंतु कंपनी उत्पादन के चरण पर नहीं है।

ख) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

i) वित्तीय विवरणों को बनाने का आधार

इन वित्तीय विवरणों को उन लेखा नीतियों के अनुरूप जो कि सामान्य रूप से भारत में मान्य है (भारतीय जीएएपी.) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप और उन लेखा मानक तथा नियमों के अनुसार बनाया गया है।

इन वित्तीय विवरणों को वास्तविक आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार बनाया गया है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रु. और निकटतम हजार रुपयों के पूर्णांक में बनाया गया है।

ii) अनुमानों का प्रयोग

भारत में सामान्य रूप से मान्य लेखा मानक (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को बनाने में अपेक्षित है कि प्रबंधक वर्ग उन राशियों का अनुमान लगाए जो कि परिसंपत्तियों और देनदारियों में बताई गई राशि और विवरणों की तिथि पर संभावित देनदारियों तथा उस अवधि में बताई गई आय और खर्चों के विषय में वांछित है। वास्तविक परिणामों और अनुमानित का अंतर उस समय मान्य होता है जिस समय उनका पता चलता है / परिणत होता है।

iii) नकद और नकद समकक्ष

नकद प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए की गई है, जिसके द्वारा असाधारण मदों से पहले लाभ / (हानि) और कर को गैर नकद प्रकार के लेन देन के प्रभाव

हेतु समायोजित किया गया है तथा पूर्व या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों का स्थगन और प्रोद्भवन किया गया है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और निधिकरण के कार्यकलापों से नकद प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभाजित किया गया है।

नकद और नकद समकक्ष

नकद में हाथ में नकद, बैंक में शेष और बैंकों के पास जमा मांग निहित है। नकद समकक्ष अल्पावधि शेष (तीन माह की मूल परिपक्वता या अधिग्रहण की तिथि पर कम सहित), उच्च तरल निवेश जो तत्काल नकद की ज्ञात राशि में बदले जा सकते हैं और जो मूल्य में बदलावों के गैर महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

नकद प्रवाह वक्तव्य तैयार करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाता है जैसा लेखा मानक (एएस)-3 में बताया गया है।

iv) अचल परिसंपत्तियां

मूर्त परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहास तथा क्षतिगत हानि को उनके मूल्य से घटा कर दिखाया गया है। मूर्त परिसंपत्तियां के मूल्य में उनका क्रय मूल्य तथा अन्य खर्चों को भी शामिल किया गया है जो कि उस सम्पत्ति को उस के वांछित प्रयोग के लिए कार्यरत करने में लगे है।

v) मूल्यहास, परिशोधन और कमी

अमूर्त परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास बट्टे खाते मूल्य (डब्ल्यूडीवी) विधि पर मूल्यहास राशि की सीमा के लिए प्रदान किया गया है। मूल्यहास का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में अनुसूचित सम्पत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर किया गया है।

vi) राजस्व की मान्यता

किराए से होने वाली आय को किराए अनुबंध की शर्तों के अनुसार वास्तविक रूप से मान्यता दी जाती है। ब्याज आय को समय अनुपातिक आधार पर बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखकर मान्य किया जाता है।

vii) कर्मचारी के लाभ

अल्पावधि कर्मचारी के लाभ

कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा के बदले में बिना कटौती अल्पावधि कर्मचारी के लाभ को उस अवधि का खर्च माना जाता है जिस अवधि में सेवा दी गई हो।

नौकरी के पश्चात लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है जिस के तहत कम्पनी किसी अन्य संस्था को निर्धारित योगदान देती है। कम्पनी भविष्य निधि में निर्धारित मासिक राशि का योगदान करती है। जिस अवधि में कर्मचारी सेवा करता है उस समय के हानि और लाभ खाते में कम्पनी का भविष्य निधि में योगदान खर्चा माना जाता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित अनुलाभ योजना के तहत देयताओं और अन्य नौकरी के पश्चात लाभ जैसे कि छुट्टी भुनाना, निवृत्ति उपदान की देयताओं की वर्ष के अंत में छुट्टियों और पूरे हुए सेवा वर्ष के आधार पर अनुदान की गणना की जाती है।

क्योंकि कम्पनी में केवल 2 कर्मचारी हैं इसलिए कर्मचारियों को देय लाभों का बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

viii) वर्तमान व आस्थगित कर प्रावधान

कर व्यय वर्तमान व आस्थगित कर का समाविष्ट है। लागू कर दरों के अनुरूप कर अधिकारियों को देय वर्तमान कर का परिमाण लगाया जाता है। आस्थगित आयकर समयभेद के कारण वर्तमान कर योग्य आय और लेखा आय व पिछले वर्षों / अवधि में समयभेद के कारण हुए भेद को दर्शाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को उतनी ही मान्यता दी जाती है जितना कि उचित आश्वासन हो कि आगामी आय इतनी होगी जिस के सम्मुख वसूली संभव हो। अपवाद रूप में आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस समय मान्यता दी जाती है जब कि बीमा अवशोषित मूल्यहास और हानि हो तथा इतना निश्चित रूप से पता हो कि भविष्य में इतनी कर योग्य आय होगी जिस के सम्मुख इसकी वसूली हो सकेगी।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताएं का परिमाण उन कर दरों और कर कानून के आधार पर किया जाता है जो कि तुलन पत्र की तिथि तक बन चुके हों।

ix) **प्रति शेयर आय**

मूल्य आय प्रति शेयर का प्रकटीकरण तुलन पत्र में किया जाता है। वर्ष के अंत में बकाया औसत आम शेयरों के आधार पर प्रति शेयर आय की सगणना और प्रकटीकरण किया जाता है। प्रति शेयर पर तनुकरणीय आय की सगणना और प्रकटीकरण वर्ष के अन्त में बकाया आम औसत शेयरो व तनुकृत आम शेयरों के आधार पर किया जाता है सिवाय उस अवस्था के जब कि परिणाम तनुकरण के विरुद्ध हो।

x) **संभावित देयताएं और संभावित परिसंपत्तियां प्रावधान**

लेखा में प्रावधान उस समय मान्य होता है जब वर्तमान में पिछली घटनाओं के कारण देयता हो और ऐसा स्पष्ट हो कि देयता के निपटारे के लिए साधनों का बाह्यवाह होगा तथा एक विश्वसनीय अंदाज लगाया जा सकता हो। प्रावधानों का वर्तमान मूल्यों तक तनुकरण नहीं किया जाता है तथा प्रतिवेदन तिथि के समय देयता का भुगतान करने के लिए अधिकतम आकलन के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इन प्रावधानों का प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर पुनः निरीक्षण किया जाता है तथा वर्तमान में अधिकतम आकलन के आधार पर समावेश किया जाता है।

संभाव्य देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है यदि साधनों के बाह्यवाह की संभावना अल्प नहीं हो तो।

वित्तीय विवरणों में संभाव्य परिसम्पत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

xi) **परिसंपत्तियों की क्षति**

परिसंपत्तियों की क्षति तब मानी जाती है जब परिसंपत्तियों की मौजूदा लागत इसके वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। एक क्षति हानि वर्ष में लाभ और हानि के वक्तव्य में प्रभारित की जाती है, जिसमें एक परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है। क्षति की हानि को पूर्व लेखा अवधि में बदला हुआ माना जाता है, यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव होता है।

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 2 : शेयर पूंजी

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
अधिकृत शेयर पूंजी 10 रु. प्रत्येक के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	500,000	500,000
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त 10 रु. प्रत्येक के 18789382 इक्विटी शेयर	187,894	187,894
कुल	187,894	187,894

क) प्रतिवेदनाधीन वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का पुनः विनियोजन

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	18,789,382	187,894	18,789,382	187,894
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस लिए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	18,789,382	187,894	18,789,382	187,894

ख) इक्विटी शेयरों के साथ जुड़ी अवधियां / अधिकार

कंपनी के पास 10 रुपए प्रति शेयर के समकक्ष मूल्य पर इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक मत देने की पात्रता है।

ग) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों के विवरण

शेयरधारी के नाम	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	
	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशत धारिता	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशत धारिता
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	12,526,256	66.67	12,526,256	66.67
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लि.	6,263,126	33.33	6,263,126	33.33
कुल	18,789,382	100	18,789,382	100

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 3 : आरक्षित और अधिशेष

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
- क) आरक्षित पूंजी प्रारंभिक शेष (टिप्पणी 3.1 देखें) (+) वर्तमान वर्ष का हस्तांतरण	19,070	19,070
समापन शेष	-	-
कुल (I)	19,070	19,070
ख) लाभ और हानि के विवरण अर्थात् अधिशेष प्रारंभिक शेष (+) वर्तमान वर्ष के लिए निवल लाभ / (निवल हानि)	(119,713)	(114,919)
समापन शेष	(4,451)	(4,794)
कुल (II)	(1,24,164)	(1,19,713)
कुल I + II	(1,05,094)	(100,643)

टिप्पणी 2.1 : मै. पैटयोर मेरिक्स सिरम एण्ड वैक्सींस, फ्रांस से 190.70 लाख रुपए का अप्रतिभूत ऋण प्राप्त किया गया था। इसकी पुष्टि दिनांक 04.12.1998 को दावे को समाप्त करने के लिए प्राप्त हुई और इसे वर्ष 2006-07 में बट्टे खाते डाला गया तथा पूंजी आरक्षित खाते में अंतरित किया गया।

टिप्पणी 4 : दीर्घ अवधि प्रावधान

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
आयकर के लिए प्रावधान	3,316	3,316
आरएलएसपीएल द्वारा उठाई गई मांग के लिए प्रावधान	10,757	11,873
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
उपदान (अनिधिकृत)	723	633
अवकाश नकदीकरण (अनिधिकृत)	322	253
कुल	15,118	16,075

टिप्पणी 5 : अन्य वर्तमान देयताएं

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
व्यय देय (कार्यालय)	274	167
टीडएस देय	13	4
प्रतिभूति जमा	500	-
कुल	787	171

इंडियन वैकसीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 6 : अचल परिसंपत्तियां

हजार रुपए में

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यहास					निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल 2019 के अनुसार शेष	जमा / (- निपटान)	(निपटान)	31 मार्च 2020 के अनुसार शेष	1 अप्रैल 2019 के अनुसार शेष	वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	अचल परिसंपत्ति के संबंध में समायोजन	निपटान / समायोजन पर	31 मार्च 2020 के अनुसार शेष	31 मार्च 2019 के अनुसार शेष	31 मार्च 2020 के अनुसार शेष	
मूर्त परिसंपत्तियां												
1	फ्रीहोल्ड भूमि (टिप्पणी 7.1 और 7.2 देखें)	20,910	-	-	20,910	-	-	-	-	-	20,910	20,910
2	भवन	87,699	-	87,699	-	56,700	2,074	-	58,774	-	30,999	-
3	कार्यालय उपकरण	56	-	-	56	53	-	-	-	53	3	3
4	कम्प्यूटर	74	-	-	74	71	-	-	-	71	3	3
	कुल	108,739	-	87,699	21,040	56,824	2,074	-	58,774	124	51,915	20,916
	पिछला वर्ष	108,739	-	-	1,08,739	53,597	3,227	-	-	56,824	55,142	51,915

टिप्पणी 6.1 :

श्री मिठन लाल शर्मा जिन्हें इवकॉल की कुल भूमि की पैमाइश का काम सौंपा गया था, उन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि कंपनी को शुरू से ही कुछ भूमि कम दी गई थी, क्योंकि बरसाती नाले का रकबा राजस्व खाते में 21 कनाल 16 मरला बताया गया है जबकि कंपनी के पास नाले का रकबा 6 कनाल 13 मरला ही है और बाकी का 15 कनाल 3 मरला कंपनी की भूमि के बाहर है। इसके अतिरिक्त खसरा न. 155/24 का रकबा राजस्व खाते में 8 कनाल दिखाया गया है परन्तु असल में यह केवल 2 कनाल है और 1 कनाल 4 मरला भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में चली गयी है। कंपनी ने एस. डी. ओ. कम भूमि अधिग्रहण कलैक्टर गुड़गांव को वास्तविक क्षेत्र फल के लिए मुआवज़ा चाहिए है, जो श्री मिठन लाल, स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार कम है।

टिप्पणी 6.2 :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने भवन निर्माण संरचना को गिराने के लिए मेसर्स एडवांस इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया है। कंपनी को आयरन और अन्य स्क्रेप के लिए मेसर्स एडवांस इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 2,81,90,786 रुपए (जीएसटी को छोड़कर) प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एक ही काम पूरा किया गया है।

इंडियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 7 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
मूल्यहास	-	-
उपदान	188	164
अवकाश नकदीकरण	83	66
आगे लाई गई हानियां	-	-
	271	230

आस्थगित कर देयताएं	-	-
	-	-
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	271	230

टिप्पणी 7.1

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति को एएस – 22 के पैरा 17 के अनुपालन के कारण 'आय पर करों के लिए लेखा' में मान्यता नहीं दी गई है। इस मानक के अनुसार जहां एक उद्यम में अप्रयुक्त मूल्य ह्रास होता है या कर कानूनों के तहत व्यापार की हानि अग्रेषित की जाती है, वहां आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जानी चाहिए जहां इस संतोषजनक साक्ष्य के समर्थन से आभासी सुनिश्चितता है कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसकी तुलना में उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूल किया जा सकता है। अतः उपरोक्त लेखा मानक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2019–20 में अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में 1,350 रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति में शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी 8 : दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
(अप्रतिभूति, अच्छी संभावना युक्त)		
प्रतिभूति जमा	3	3
कर जमा (आपत्ति के तहत)	6,920	6,920
पिछले वर्ष में आयकर वापसी की वसूली	4,624	4,624
कुल	11,547	11,547

टिप्पणी 9 : अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
(अप्रतिभूति, संदिग्ध माना गया) पट्टा किराया वसूली योग्य (टिप्पणी संख्या 10.1 देखें)	22,609	22,609
कुल	22,609	22,609

टिप्पणी 9.1

मे. रिलाइंस लाइफ साइंसेज प्रा. लि. द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही

मे. रिलाइंस लाइफ साइंसेज के पट्टा समझौता समाप्ति के बाद पट्टादाता और पट्टाधारी के मध्य किराए के भुगतान व दूसरी मांगों को लेकर कुछ विवाद हो गया है। मे. आर.एल.एस. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पट्टा समाप्त होने के विषय पर हुए विवाद को सुलझाने हेतु एकल मध्यस्थ की नियुक्ति करने की मांग की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 01.05.2014 को श्री मुकुल मुदगल को एकल मध्यस्थ के रूप में इवकॉल और मे. आर.एल. एस. के विवाद और दावों को सुलझाने के लिये नियुक्त किया है। दावेदार ने अपनी मांगों की सूची (टिप्पणी संख्या 20 का खण्ड 2 देखें) प्रेषित कर दी है और प्रतिवादी ने भी अपनी प्रतिमांगों की सूची और वादी की मांगों के समक्ष प्रतिवादी का बयान प्रेषित कर दिया है। वादी ने 23.02.2016 को 30.69 लाख रुपए का एक अतिरिक्त दावा दायर किया जो वित्तीय वर्ष 2013 – 14 के लिए आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांग है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा उस पट्टा किराए से टीडीएस की राशि काटी गई जो प्रतिवादी को सूचना दिए बिना काटा गया था। एकमात्र विवाचक ने 19.04.2017 को आदेश की तिथि के छह सप्ताह के अंदर 97,60,129 रुपए की राशि आरएलएसपीएल को देने का आदेश किया है, इसमें विफल रहने पर कथित राशि विवाचन और विनियोजन अधिनियम, 1996 की धारा 31 (7) (ख) के अनुसार भुगतान की तिथि पर देने की तिथि से आदेश की तिथि तक प्रति वर्ष प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से 2 प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज के साथ देने की देयता होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार (तुलन पत्र की तारीख तक एवॉर्ड में निर्दिष्ट ब्याज सहित) आरएलएसपीएल को 04.02.2020 को 22,00,000 रुपए का भुगतान करने के बाद 1,07,56,825 रुपए का प्रावधान बहियों में आरएलएसपीएल को देय है। एक मात्र विवाचक के आदेश के खिलाफ विवाचक ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 18.08.2017 को 3,32,84,812 रुपए की राशि के लिए विवाचन और विनियोजन अधिनियम, 1996 के धारा 34 के तहत याचिका दायर की है।

अतः 2,26,09,370 रुपए के वसूली योग्य किराए को संदिग्ध माना गया है किंतु इसके लिए प्रावधान नहीं बनाया गया है और लेखा की बही में 1,06,75,442 रुपए की शेष दावा राशि को विचार में नहीं लिया गया है।

टिप्पणी 10 : नकद और नकद समकक्ष

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
बैंक के पास शेष		
(i) बैंक के पास शेष चालू खाते	548	162
(ii) बैंक के पास जमा (टिप्पणी सं. 11.1 देखें)	39,700	14,350
उपलब्ध नकद	6	7
अन्य – ब्याज अर्जित	430	276
कुल	40,684	14,795

टिप्पणी 10.1

बैंक में जमा 39,700 हजार रुपए में 12 माह से अधिक परिपक्वता के साथ शून्य रुपए जमा शामिल हैं।

टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
(क) स्रोत पर काटा गया आयकर		
(i) आयकरों की वापसी (पिछले वर्षों से जो आयकर विभाग से अपेक्षित है)	1,223	1,223
(ii) पट्टे किराए से	802	683
(iii) बीमा दावे पर ब्याज से	438	318
(ख) बकाया वापिसी	8	-
(ग) जीएसटी इनपुट	207	177
कुल	2,678	2,401

इंडियन वैकसीन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 12 : अन्य आय

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
ब्याज आय – बैंक जमा	1,196	971
अन्य गैर परिचालन आय –		
एनबीआरसी से फ़ैक्टरी भूमि के पट्टे आय	1,191	1,191
अतिरिक्त देयता को बट्टे खाते डाला	-	-
कुल	2,387	2,162

टिप्पणी 13 : कर्मचारी लाभ के व्यय

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
(क) वेतन और प्रोत्साहन	1,148	845
(ख) अंशदायी भविष्य निधि	50	46
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	3	3
कुल	1201	894

टिप्पणी 14 : मूल्यहास और परिशोधन व्यय

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
मूल्यहास	2,074	3,227
कुल	2,074	3,227

टिप्पणी 15 : अन्य व्यय

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
मरम्मत और रखरखाव (कार्यालय)	4	18
हाउसकीपिंग व्यय	427	405
बीमा	1	1
किराए पर ली गई कार के प्रभार	2	-
दरें और कर	11	1
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	375	411
यात्रा व्यय	42	6
वाहन प्रभार	34	33
लेखा परीक्षक के भुगतान (टिप्पणी 15.1 देखें)	25	25
विविध व्यय	5	9
टेलीफोन व्यय	7	12
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	20	17
डाक व्यय		
बिजली का व्यय (स्थल)	105	114
सुरक्षा सेवा (स्थल)	699	667
बैंक के प्रभार	4	1
विज्ञापन व्यय	26	26
भवन की बिक्री पर लाभ	735	-
कुल	2,522	1,746

टिप्पणी 15.1 : लेखा परीक्षकों के लिए भुगतान के विवरण :

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
क. सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	25	25
ख. व्यय की पूर्ति के लिए	-	-
कुल	25	25

टिप्पणी 16 : असाधारण मद

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
क. आरएलएसपीएल द्वारा उठाई गई मांग के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं. 16.1 देखें)	1,083	1,083
कुल	1,083	1,083

टिप्पणी 16.1

एकमात्र विवाचक ने 19.04.2017 को आदेश की तिथि के छह सप्ताह के अंदर 97,60,129 रुपए की राशि आरएलएसपीएल को देने का आदेश किया है, इसमें विफल रहने पर कंपनी पर कथित राशि विवाचन और विनियोजन अधिनियम, 1996 की धारा 31 (7) (ख) के अनुसार भुगतान की तिथि पर देने की तिथि से आदेश की तिथि तक प्रति वर्ष प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से 2 प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज के साथ देने की देयता होगी। पिछले वर्ष में बहियों के लिए आरएलएसपीएल को देय राशि 1,18,73,451 (तुलन पत्र की तिथि तक प्रदान की गई राशि में निर्दिष्ट ब्याज सहित) के लिए प्रावधान किया गया है। और आरएलएसपीएल को देय 10,83,374 रुपए के वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज का प्रावधान वर्तमान वर्ष में बहियों के लिए रखा गया है।

इंडियन वैक्सिन्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 17 : संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखा मानक 18 के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेन देनों के प्रकटन इस प्रकार दिए गए हैं :

संबंधित पार्टियों की सूची, जहां नियंत्रण मौजूद हैं और संबंधित पार्टियां जिनके साथ लेन देन किए गए हैं और संबंध :

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
1	मे. रिलायंस लाइफ साइंसिज प्रा. लि.	रिलायंस इंड. लि. के सहयोगी
2	मे. राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र	जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग

संबंधित पक्षकार के साथ वर्ष के दौरान लेन देन

हजार रुपए में

क्र. सं.	लेन देन का प्रकार (प्रतिपूर्ति के अलावा)	सहयोगी	मुख्य प्रबंधक कार्मिक	कुल
1	पट्टा किराया (सकल)	1,191	-	1,191

टिप्पणी 18 :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) और धारा 149 के प्रावधानों के साथ कंपनी (नियुक्ति और परिलब्धि) नियम, 2014 के नियम 8 और 8ए के साथ पठित नियमों का पालन पूर्ण कालिक कंपनी सचिव और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों एवं स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए नहीं किया है।

कंपनी ने दो स्वतंत्र निदेशकों के मनोनयन के लिए भारत सरकार (डीबीटी) के साथ भी मामला उठाया है।

टिप्पणी 19 :

हजार रुपए में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
आकस्मिक देयताएं		
1. आकलन वर्ष 1992 – 93 के लिए आयकर की मांग, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी के खिलाफ आदेश पारित किया गया है और उच्चतम न्यायालय में कंपनी की एसएलपी को स्वीकार किया गया है, किंतु यह मामला अब तक सूचीबद्ध नहीं है।	8,469	8,469
कुल	8,469	8,469

टिप्पणी 20 :

कंपनी ने हानियों को संचित किया है और इसका निवल मूल्य आंशिक रूप से नष्ट हो गया है, कंपनी को वर्तमान और पिछले वर्षों के दौरान एक निवल हानि / निवल नकद हानि हुई है। वर्ष 2008-09 में कंपनी ने टीका परियोजना को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया था। स्थल के कुछ भाग को 11.91 लाख रुपए प्रतिवर्ष की राशि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी) को पट्टे पर दिया गया है।

चूंकि यह परियोजना कभी भी आरंभ नहीं की गई, अतः संयंत्र और मशीनरी एवं अन्य मदों के मात्र निपटान से जारी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अतः कंपनी द्वारा जारी कंपनी के आधार पर लेखा बहियों का रखरखाव किया जाता है। कंपनी ने लंबे समय से अचल परिसंपत्तियों के पट्टे से आय अर्जित की है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी को विनिवेश के लिए नीति आयोग के साथ संदर्भित किया गया है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नीति आयोग ने कंपनी के विनिवेश के लिए सिफारिश की है।

टिप्पणी 21 :

लेखा मानक 15 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटन लेखा मानक परिभाषित रूप में आगे दिए गए हैं :

परिभाषित अंशदान योजनाएं :

परिभाषित अंशदान योजना में योगदान को निम्नानुसार वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यता दी गई है :

विवरण	राशि रु. में	
	2019-20	2018-19
भविष्य निधि में कर्मचारियों का योगदान	50,274	45,735

कंपनी ने इण्डियन वैक्सीन्ज कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधिकोष का गठन किया है और इसे 30.04.1991 को आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के तहत कर्मचारी भविष्य निधि कोष के तहत मान्यता प्रदान की है, किंतु कंपनी ने कर्मचारी भविष्य और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत निर्दिष्ट रियायत अब तक प्राप्त नहीं की है और इक्वॉल कर्मचारी भविष्य निधि के लेखा परीक्षित विवरण के अभाव में कंपनी की ओर से देय भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज में कमी को गणना में नहीं लिया गया है।

टिप्पणी 22 : सीआईएफ आधार पर निर्यातों का मूल्य

राशि रु. में

विवरण	राशि रु. में	
	2019-20	2018-19
	शून्य	

टिप्पणी 23 : विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि रु. में

विवरण	2019-20	2018-19
	शून्य	

टिप्पणी 24 : विदेशी मुद्रा में कमाई

राशि रु. में

विवरण	2019-20	2018-19
	शून्य	

टिप्पणी 25 : प्रति शेयर कमाई (ईपीएस)

राशि रु. में

विवरण	2019-20	2018-19
लाभ और हानि वक्तव्यों के अनुसार कर और असाधारण मद के पश्चात निवल लाभ (हानि) इक्विटी शेयरधारकों देने योग्य	(4,451,209)	(4,794,018)
असाधारण मद	(1,083,374)	(1,083,374)
	<u>(3,367,835)</u>	<u>(3,710,644)</u>

इक्विटी औसत की भारांकित संख्या

18,789,382

18,789,382

प्रति शेयर बुनियादी और तनुकृत कमाई
(असाधारण मद के पश्चात)

(0.24)

(0.26)

प्रति शेयर बुनियादी और तनुकृत कमाई
(असाधारण मद के पूर्व)

(0.18)

(0.20)

प्रति इक्विटी शेयर आरंभिक मूल्य

10

10

टिप्पणी 26 :

पिछले वर्ष के आंकड़े अनिवार्य होने पर पुनः समूहित किए गए हैं।